न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 155/2018

1 प्रकाश पुत्र रामसिंह उर्फ रामलाल जाति अहीर निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 इन्द्राज पुत्र रामसिंह उर्फ रामलाल
3 शान्ति देवी पत्नी रामसिंह उर्फ रामलाल (नाम हजफ) जाति अहीर निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील बलिखाफ निर्णय व डिक्री बअदालत न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा
इन्द्राज वगै. बनाम राज. सरकार दावा संख्या 155/2013
दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
व खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री वीरेन्द्र सीगड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट राजकीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 19.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 155/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने एक वाद उद्घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 1683 जिसके नये खसरा नम्बर 2149—2295, 4628/2312 एवं 5203/2310 वाके ग्राम छापोली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.05.2013 में दर्ज है कि पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. पत्रावली वास्ते जबाब दावा दिनांक 07.06.2013 को पेश हो।' जबकि प्रतिवादी की उप के बाबत ही दर्ज नहीं है तो जवाब दावा किस बात का इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर जा.दी. के प्रावधानों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 29.01.2014 में दर्ज किया है कि ' तहसीलदार कें जवाब दावा प्राप्त हुआ' इसका मतलब कि जवाब दावा तहसीलदार ने पेश नहीं किया डाक से प्राप्त हुआ है जबकि कानूनन जबाब दावा उप होकर के पेश करना होता है। अगर उप. होकर पेश नहीं किया तो यह जवाब दावा पेश होना नहीं माना जाता है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.05.2014 में शहादत वादी में गवाह इन्द्राज व प्रकाश के शपथ पत्र पेश किये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10.06.2014 में दर्ज है कि साक्ष्य वादी बन्द की जाती है व प्रतिवादी की उप. भी दर्ज नहीं है व ना ही एक तरफा कार्यवाही

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दर्ज है व पुरी पत्रावली की आदेशिका में कभी भी प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज है। इस बाबत विचारण न्यायालय कोई गौर नहीं किया। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नही किया कि जवाब दावा ना तो तस्दीकशुदा है व ना ही जवाब दावा के साथ शपथ पत्र है व ना ही यह दर्ज है कि जवाब दावा किसने पेश किया। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या की ना तो यह दर्ज है कि तलबी हुई कि नहीं ना यह दर्ज है कि प्रतिवादी स्वयं उपस्थित व ना यह दर्ज है कि प्रतिवादी संख्या की तरफ से कौन उपस्थित है व ना ही एक तरफा कार्यवाही बाबत दर्ज है केवल यह दर्ज है कि प्रतिवादी तहसीलदार से जवाब दावा प्राप्त जबकि यह भी दर्ज नहीं है कि जवाब दावा किसने पेश किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पपर विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में दावा के बिन्दुवार मौका रिपोर्ट पत्रावली पर है व उक्त मौका रिपोर्ट में दर्ज है कि जमीन जैर बहस अपीलान्ट के पिता को 08.07.66 को एलाट हुई थी व एलोटमेन्ट आदेश की पालना में अपीलान्ट का जमीन जैर बहस का नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 17.03.76 को नामान्तकरण भी तस्दीक है व जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है व भू–प्रबन्ध के समय 1985 से अपीलान्ट के पिता के नाम से गैर खातेदारी भी दर्ज है परन्तु बाद में सहवन से मिसल बन्दोबस्त में सिवाय चक दर्ज हो गई इस तरह से विचारण न्यायालय द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट अपीलान्ट के दावे को साबित करती है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर ना कर अपीलान्ट के दावे को खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि अपीलान्ट (वादी) की शहादत में पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्ल्यू 2 के शपथ पत्र पेश है व वादी स्वयं उपस्थित होकर के शपथ पत्र पेश हुये है परन्तु प्रतिवादी ने जिरह नहीं की इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.11.2017 में साफ दर्ज है कि वकील वादी उपस्थित बहस दावा सुनी गई इस आदेशिका में पैरोकार सरकार की उपस्थिति दर्ज नहीं है परन्तु विचारण

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने अपने निर्णय में दर्ज कर रखा है कि पैरोकार सरकार उपस्थित। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम छापौली के अनुसार खसरा नम्बर 2149, 2295, 4628/2312 एवं 5203/2310 रकबा क्रमशः 0.17 है., 0.15 है., 2.16 है., 0.08 है. किता 4 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर की खातेदारी राजकीय 6 साल से अधिक परती (जुताई हेतु) दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर ग्राम छापोली के गत खसरा नम्बर 1638, 1638मी. 1638मी 1638 मी से बने है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज आवंटन के अनुसार आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा दिनांक 08.07. 1966 को कम संख्या 36 पर अंकित रामसिंह पुत्र चुन्नाराम अहीर को गत खसरा नम्बर 1638 किस्म गै. मु. डूंगरी रकबा 10 बीघा 3 बिश्वा का आंवटन किया जाना अंकित है तथा उक्त आवंटित भूमि का सरपंच ग्राम पंचायत छापौली द्वारा नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 20.03.76 तस्दीक किया गया है लेकिन उक्त नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी 2012 से 2014, 2015 से 2018, 2023 से 2026, 2067 से 2030 तथा 2031 से 2034 के अनुसार उक्त वर्णित गत भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 10 बीघा 3 बिश्वा किस्म गैर मु. डूंगरी को में से 2 बीघा भूमि को मात्र 2023 में काश्त किया गया है। इसके अलावा आंवटी द्वारा कभी भी काश्त नहीं किया गया है इससे साबित होता है कि उक्त कथित आवंटित भूमि पर रामसिंह पुत्र चुनाराम का लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा है। गै.मु. डूंगरी वैसे भी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है तथा इसी के मध्यनजर बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण उक्त वर्णित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत भूमि के संबंध में बन्दोबस्त विभाग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प चुरू)

द्वारा की गई कार्यवाही उचित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि की किस्म परिवर्तन का अंकन किस आधार पर किया गया है इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उक्त वर्णित भूमि रामसिंह पुत्र चुनाराम अहीर के नाम आवंटित हुई थी। रामलाल के नाम से आवंटित नहीं हुई है। अलॉटमेंट दस्तावेज में रामसिंह उर्फ रामलाल अंकित नहीं है। रामसिंह व रामलाल एक ही व्यक्ति है इस तथ्य की पुष्टि में भी वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में भी राजकीय भूमि दर्ज रही है तथा वर्तमान में भी राजकीय भूमि दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वादपत्र साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट का था। इसके उपरांत भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 1 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम छापौली के अनुसार खसरा नम्बर 2149, 2295, 4628/2312 एवं 5203/2310 रकबा क्रमशः 0.17 है., 0.15 है., 2.16 है., 0.08 है. किता 4 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर की खातेदारी राजकीय 6 साल से अधिक परती (जुताई हेतु) दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर ग्राम छापोली के गत खसरा नम्बर 1638, 1638मी. 1638मी 1638 मी से बने है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज आवंटन के अनुसार आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा दिनांक 08.07.1966 को कम संख्या 36 पर अंकित रामसिंह पुत्र चुन्नाराम अहीर को गत खसरा नम्बर 1638 किस्म गै. मु. डूंगरी रकबा 10 बीघा 3 बिश्वा का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आवंटन किया जाना अंकित है तथा उक्त आवंटित भूमि का सरपंच ग्रम पचायत छापौली द्वारा नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 20.03.76 तस्दीक किया गया है लेकिन उक्त नामानतकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी 2012 से 2014, 2015 से 2018, 2023 से 2026, 2027 से 2030 तथा 2031 से 2034 के अनुसार उक्त वर्णित गत भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 10 बीघा 3 बिश्वा किस्म गै.मु. डूंगरी में से 2 बीघा भूमि को मात्र 2023 में काश्त किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्राबली में पस्तुत दस्तावेज की साक्ष्यता का गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

न्यायाहीत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जा कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोम किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय वं डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज की साक्ष्यता विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31–12–2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन अपील अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर